

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर.

क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)(17)डीएलबी/19/24034

दिनांक: 03/12/19

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगरपालिका, चौमू में पैरवी हेतु निम्नांकित अधिवक्ताओं को नियमानुसार देय पारिश्रमिक भुगतान पर अग्रिम आदेशों तक के लिए पैनाल अधिवक्ता/विधि सलाहकार लगाया जाता है:-

क्रं.स.	अधिवक्ता का नाम	नगरपालिका का नाम
1.	श्री बद्रीनारायण परिहार पुत्र श्री तेजाराम परिहार	नगरपालिका चौमू
2.	श्री मुकेश माथुर	नगरपालिका चौमू

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगरपालिका, चौमू से देय होगा।

(उज्ज्वल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)(17)डीएलबी/19/24035-42

दिनांक: 03/12/19

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग जयपुर।
05. अध्यक्ष/अधिसाषी अधिकारी, नगरपालिका, चौमू।
06. श्री एडवोकेट मार्फत, नगरपालिका, चौमू।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामशी